न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 185/2017

अनवान :

1. सुपारी पुत्री गणपत पत्नी पूर्णचंद जाति नायक निवासी भांगवा हाल सानिआना तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।
2. सिलोचना पुत्री गणपत पत्नी राजू जाति नायक निवासी भांगवा हाल ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती एवं
स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88,188 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव **: वादीगण**

वकील राज पैरोकार: **प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांक : 30.8.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मोजा गांव भांगवा की जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 26/31 के खसरा सं. 81 की 3.085 हैक्टर, 154 की 2.668 हैक्टर, 155 की 1.353 हैक्टर, 159 की 2.491 हैक्टर, 257 की 2.314 हैक्टर, 260 की 2.213 हैक्टर, 385 की 0.784 हैक्टर, 704 की 2.516 हैक्टर कुल 17.424 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि है। जिसमें रतनी पत्नी गणपत, भागसिंह, महेन्द्रपाल पि0 गणपत तीनों का बहि0 बराबर 275–3/4 हिस्सा तथा शेष भूमि अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण की माता रतनी के नाम 275–3/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा भूमि यानिर 91–11/12 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण की माता रतनी वादीगण के पास ही रहती थी। उन्होनें उसकी सेवा चकारी की, वृद्धावस्था में उसकी सार सम्भाल की। वादीगण की माता रतनी का पीहर सकताखेड़ा तहसील डबवाली में था तथा मृत्यु के समय वादीगण उसे सकता खेड़ा ही ले गए थे तथा वही उसका देहान्त हुआ था। वही उसका अन्तिम क्रियाक्रम किया गया था।

वादीगण की माता रतनी वादीगण के पास ही रहती थी तथा दोनों वादीगण की उसकी सेवा चाकरी, दवाई, कपड़ा आदि सभी प्रकार की देखभाल दोनों वादीगण ही करती थी। इसलिए वादीगण की माता रतनी ने सेवा चाकरी से खुश होकर के अपनी मर्जी , सहमति, होश–हवास एवं स्वतंत्र इच्छा से गांव भांगवा में स्थित वादभूमि में स्थित उसका 1/3 हिस्सा की वसीयत दोनों वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर रूबरू गवाहान कर दी थी तथा इस बाबत एक वसीयतनामा कस्बा भादरा में दिनांक 29.10.2015 को लिखवाकर के उसक वसीकानवीश रजिस्टर में दर्ज करवाकर उसे

अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

सुन समझकर अपने अंगुठा निशान रूबरू गवाहान किये थे तथा उक्त वसीयतनामा उसी दिन नोटेरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित होकर स्थापित करवा दिया था। उक्त वसीयत रतनी की प्रथम एवं अन्तिम वसीयत थी जो उसके मृत्यु उपरान्त तुरन्त लागू होनी थी।

वादीगण की माता रतनी का दिनांक 17.04.2016 को गांव सकताखेड़ा में अपनी पीहर में देहान्त हो गया है। रतनी की मृत्यु के तुरन्त बाद वादभूमि की दोनों वादीगण मुताबिक वसीयतनामा बहिस्सा बराबर की खातेदार काश्तकार हो चुकी है। लेकिन वादभूमि अभी भी रतनी के नाम से दर्ज है, से वादीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए वादीगण अपने हकों की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि गांव भांगवा के खाता संख्या 26/31 की 17.424 हैक्टर बारानी भूमि में रतनी पत्नी गणपत के नाम दर्ज 275–3/4 हिस्सा में 1/3 हिस्सा यानि 91–11/12 हिस्सा की दोनों वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है, उक्त भूमि की बाबत रतनी पत्नी स्व. गणपत का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर दोनों वादीगण का बहिस्सा बराबर 91–11/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का अधिकारी है। इस खाते में दर्ज अन्य काश्तकारों का हिस्सा यथावत रहेगा।

वादभूमि की वादीगण खातेदार काश्तकार रतनी की मृत्यु होने के बाद बन चुकी है। लेकिन वाद भूमि अभी भी रतनी के नाम दर्ज होने से वादीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है तथा प्रतिवादी वादभूमि को अन्य खातेदारों के नाम दर्ज करने की धमकी दी है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वे रतनी देवी की भूमि वसीयतनामा के अलावा किसी अन्य के नाम नही करें।

वादीगण ने वाद भूमि मुताबिक वसीयतनामा वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं आवश्यक दस्तावेत भी संलग्न किए। लेकिन प्रतिवादी ने आज तक वाद भूमि वादीगण के नाम दर्ज नही की है तथा वादभूमि से वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी है। इसलिए वादीगण यह दावा पेश कर रहे है। वादीगण द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र पेश करने के बावजुद भी वादभूमि वादीगण के नाम दर्ज करने का इंकार कर दिया है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादीगण ने यह दावा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पेश किया है। राजस्थान सरकार भूमि की लैण्ड होल्डर है तथा उसके खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेंकिन प्रतिवादी वादीगण को तुरन्त बेदखल करने एवं भूमि अन्य खातेदारों के नाम दर्ज करने की धमकी दी है। इसलिए दावा आवश्यक प्रकृति का है। बिना नोटिस दिये न्यायालय की आज्ञा से पेश किया जा रहा है। न्यायालय की आज्ञा से अलग से आवेदन पेश है।

वादभूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। खाते में दर्ज अन्य खातेदारों के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इसलिए उन्हें दावा मे पक्षकार नही बनाया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी ने अपना जवाबदावा पेश किया। तनकी कायम की गई –

1. आया कि गांव भांगवा के खाता संख्या 26/31 की कुल 17.424 हैक्टर भूमि संयुक्त खाता में दर्ज 275–3/4 हिस्सा में स्थित रतनी पत्नी गणपत के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की वादीगण दोनों मुताबिक वसीयतनामा खातेदार काश्तकार है मुताबिक वसीयतनामा रतनी देवी की मृत्यु हो जाने के कारण राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
भादरा-हनुमानगढ़

में रतनी देवी के स्थान पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है ? — वादीगण

2. आया कि वाद भूमि की बाबत वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ? — वादीगण
3. अनुतोष !

तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 में सुपारी पुत्री गणपत पत्नी पूर्णचंद जाति नायक निवासी भांगवा हाल सानिआना तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी रोही मोजा भांगवा सम्वत 2071—74 प्रदर्श 1, वसीयतनामा असल प्रदर्श 2, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 2ए, नकल प्रमाण पत्र नोटेरी प्रदर्श 3ए नकल दरख्वास्त तहसीलदार प्रदर्श 4ए वसीकानवीस रजिस्टर की फोटो प्रति प्रदर्श 5ए प्रदर्शित करवाये, पी.डब्ल्यू 2 में सिलोचना पुत्री गणपत पत्नी राजू जाति नायक निवासी भांगवा हाल सानिआना तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा, पी.डब्ल्यू 3 में नानिहाल पुत्र लालचंद जाति नायक निवासी सकताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा, पी.डब्ल्यू 4 में प्रहलाद पुत्र रामकुमार जाति छिम्पा निवासी हाल वसीकानवीश, तहसील परिसर भादरा, पी.डब्ल्यू 5 में विजयपालसिह पुत्र अमीचंद जाति जाट निवासी हाल नोटेरी पब्लिक तहसील परिसर भादरा के साक्ष्य करवाये गये। उक्त वसीयत की घोषणा हेतु शेष कोई आपत्ति व एतराज है तो इसी बाबत दिनांक 19.02.2018 को जरिये अखबार साया कर न्यायालय हाजा में दिनांक 26.02.2018 तक अपना एतराज दर्ज करने की दैनिक भास्कर अखबार में साया किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में रतनी के कितनी सन्तान है, कितने जायज वारिस है इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नही किया है। दावा की मद सं. 1 में वादभूमि में रतनी पत्नी गणपत, भागसिंह, महेन्द्रपाल पि0 गणपत तीनों का बहि0 बराबर 275—3/4 हिस्सा जमाबंदी में अंकित है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श 1 से होती है। स्वयं वादिया वकील ने बहस में कथन किया कि रतनी के दो पुत्र है वसीयतनामा में भी अंकित है कि मेरे दो पुत्र व चार पुत्रियां है। दोनों पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है चारों पुत्रियां मौजुद है। इससे स्पष्ट होता है कि रतनी देवी के पुत्रों के वारिसान व दो पुत्रियों को दावा में पक्षकार नही बनाया गया है, वसीयत के प्रकरण में समस्त विधिक वारिसान को सुना जाना आवश्यक है क्योंकि वसीयत द्वारा रतनी ने अन्य वारिसान को विरासतन हक से वंचित कर अपनी वादभूमि की वसीयत अपनी दो पुत्रियों के हक में निष्पादित करवा दी है। इसलिए जिन विधिक वारिसान को विरासतन हक से वंचित किया गया है उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

हस्तगत प्रकरण में वादभूमि रतनी को गणपत की मृत्यु पर प्राप्त हुई या खुद पैदाकर्ता है इसका भी कही उल्लेख नही किया गया। गणपत के सात वारिसान (स्वयं रतनी, दो पुत्र, व चार पुत्रियां) माना जाए तो रतनी को वादभूमि का 1/3 हिस्सा

अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

किस प्रकार प्राप्त हुआ इन सभी बिन्दुओं को साबित करने का प्रयास वादियागण द्वारा नही किया गया है। इन बिन्दुओं को सभी पक्षकारों के न्यायालय के समक्ष आने पर ही स्पष्ट रूप से देख जाना संभव हो पाता। दावा में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित किए बिना मात्र तहसीलदार भादरा के विरूद्ध दावा पेश किया गया, यदि वादियागण को मात्र तहसीलदार भादरा के विरूद्ध अनुतोष चाहिए तो उन्हें प्रकरण को तहसीलदार भादरा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। तहसीलदार भादरा ने अपने जवाबदावा की मद सं. 5 में अंकित किया है कि वादियागण वसीयतनामा के अनुसार अपना नामान्तरण दर्ज करवा सकती है।

किसी प्रकरण में आवश्यक या प्रभावित पक्षकार जिनकी उस वाद निर्णय से प्रभावित होने की संभावना है, उनको बिना सुने निर्णय पारित करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। वकील वादियागण की ओर से प्रस्तुत न्यायाकि दृष्टान्त आर.आर.डी 14. 09.2008 सुरजभान बनाम विश्वनाथ आदि पृष्ठ संख्या 568 से 573 तक वसीयतकर्ता की इच्छा व वसीयत को साबित करने के संबंध में है मगर हस्तगत प्रकरण पर उक्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा नही होता है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रभावित पक्षकार को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देना चाहिए। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना दावा अपने पैरों पर खड़ा होकर साबित करना होता है।

हस्तगत वाद वादियागण अपना साबित करने में असफल रही है, अतः वाद वादियागण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.8.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 185/2017

अनवान :

1. सुपारी पुत्री गणपत पत्नी पूर्णचंद जाति नायक निवासी भांगवा हाल सानिआना तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।
2. सिलोचना पुत्री गणपत पत्नी राजू जाति नायक निवासी भांगवा हाल ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती एवं
स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88,188 राज.काश.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादीगण श्री किशनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादी राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर हस्तगत वाद वादियागण अपना साबित करने में असफल रही है।

अतः वाद वादियागण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..30.8.18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़